निर्णय बइजलास लोक अदालत/कोर्ट कैम्प द्वारा श्री गोविन्दसिंह (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ कोर्ट कैम्प–लसानी

प्र0सं0 41/2015 प्रा. पत्र निर्णय दिनांक :– 20.06.2016

अनवान

1. श्री श्रवण पिता पोखर जी जाति माली तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. श्री सत्यनारायण पिता पोखर जी जाति माली तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
3. श्री शिव लाल पिता पोखर जी माली तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
4. मांगी बाई पुत्री पोखर जी पत्नि भैरू लाल जी माली निवासी लसानी तहसील देवगढ
5. सीता पुत्री पोखर जी पत्नि भोलीराम जी माली निवासी राजसमन्द

———प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भैरूलाल पिता हिरा जी रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ

———विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 ले0रे0 एक्ट

पत्रावली आज दिनांक 20.06.2016 को न्याय आपके द्वार अभियान लोक अदालत कैम्प लसानी में पेश हुई। प्रार्थी सं0 02 व 04 उपस्थित विपक्षीगण को सम्मन तामिल हो जाने पर भी अनुपस्थित रहे अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया विवरण संक्षेप में इस प्रकार है :–

प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि ग्राम लसानी में स्थित है जिसके आराजी नं0 2434/1436 रकबा 5.00 बीघा है। उक्त भूमि की पूर्व दिशा में विपक्षी सं0 01 की भूमि स्थित है। विपक्षी सं0 01 ने उक्त भूमि की पाली पर लगी कांटो की बाड के सीमा चिन्ह नष्ट कर दिये है तथा हमारी जमीन की पाली को खोदकर धीरे–धीरे हमारी जमीन की ओर बढ रहे है, जिससे आये दिन लडाई झगडा व शान्ति भंग का अंदेशा रहता है। हम प्रार्थीगण हमारी उक्त भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये तथा प्रकरण न्याय आपके द्वार अभियान लोक अदालत कोर्ट कैम्प लसानी में रखा गया। कोर्ट कैम्प में प्रार्थी सं0 02 व 04 उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिस पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला–राजसमन्द

हमनें प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में सलंग्न अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया। ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ की जमाबन्दी सं0 2068 से 2071 में प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार है। खातेदार उनके खाते की भूमि की पत्थरढी करा सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जो ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ मे स्थित हो ख0न0 2434/1436 रकबा 5.00 बीघा भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित कर मौके पर पत्थरगढी कर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2016 को न्याय आपके द्वार अभियान लोक अदालत कोर्ट कैम्प लसानी में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर
देवगढ़